<u>बिहार सरकार</u>

<u>वित्त (अंकेक्षण) विभाग</u>

<u>बिहार, पटना।</u>

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–70/14–15

(1) परिचयात्मकः–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम–जिला कल्याण कार्यालय, कटिहार (अनुसूचित) जाति/अनु–जनजाति कल्याण (छात्रवृत्ति) लेखा।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि–वर्ष 09–10 एवं 10–11 तक अनुसुचित जाति/जनजाति

(ग) प्रशासी विभाग का नाम– अनुसूचित जाति जन जाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम पदनाम एवं कार्यकालः–

(i) श्री जगनाथ मंडल, उप–निदेशक, कल्याण,पूर्णियाँ प्रमंडल–दिनांक 14.02.2009 से 03.12.2011 तक

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी, पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकालः–

(i) जिला कल्याण पदाधिकारीः–

(1) श्री रणधीर कुमार वर्मा, जिला कल्याण पदा0– 15.10.2008 से 19.07.2011 तक।

(ii) प्रधान लिपिकः–

(1) श्री गोपाल पास वान–01.04.09 से 15.11.2011 तक

(iii) रोकड़ पालः–

(1) श्री कुमार कौशल–01.04.2009 से 30.10.2010 तक

(2) श्री शंभु नाथ झा–30.10.2010 से 31.03.2011 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी /कर्मचारी का नाम एवं पदनामः–

(1) श्री शम्भु मंडल, जि0 क0 पदा0

(2) श्री दिगम्बर झा, लेखापाल

(3) श्री दीपक कुमार शर्मा, रोकड़पाल,

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नामः–

(i) श्री अमर नाथ भगत, न. अं. 2

(ii) श्री शिव कुमार सिंह, न. अं. 2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि– दिनांक 07.08.2013

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि– दिनांक 28.02.2014

(ञ)अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस– 60 कार्य दिवस समेक्ति रूप

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचीः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिश्ट " क " पर संलग्ण है।

(2) <u>अंकेक्षण का क्षेत्रः–</u>

(i) अंकेक्षण का प्रकार– सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि– विभागीय ज्ञापांक 18 दिनांक 11.03. 2013 एवं विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.09.60 के अनुसार।

(iii) <u>कार्यालय का कार्य क्षेत्रः–</u>

इस कार्यालय का प्रधान कार्य अनुसूचित जाति/अनुजनजाति के छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक विकास हेतु छात्रवति वितरण करना है। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्ग के बच्चो को आर्थिक सहयोग प्रदान करना,विकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विकलांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, माडा योजना द्वारा जनजातियो का आर्थिक पुनरूथ्रान करना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कन्या विवाह हेतु आर्थिक मदद पहुँचाना आदि प्रमुख कार्य है। यह अंकेक्षण प्रतिवेदन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुजनजाति छात्र वति लेखा से सम्बंधित है।

(iv) वित्तीय श्रोत– इस कार्यालय एवं अनुसूचित जाति/ अनु जनजाति छात्रवति मद का वित्तीय श्रोत एकमात्र सरकारी आवंटन पाया गया।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति–

जिला कोषागार कार्यालय कटिहार के अभिलेखोसे शत–प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति– पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन अप्रस्तुत रहा।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति– अंकेक्षण के मौखिक

एवं लिखित अनुरोध के बावजूद भी पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही कराया जा सका। फलतः अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) वित्तीय समीक्षाः–

(i) आवंटन की स्थिति में– क्या आवंटन से अधिक व्यय की गई है– नहीं (आवंटन एवं व्यय का विस्तत विवरण परिशिश्ट " एवं " में द्रष्टव्य है) व्ययोपरांत आवंटन की शेष राशि प्रव्यार्पित कर दी गयी थी।

(ii) अनुदान की स्थिति में– क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया था– नहीं

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेरित किया गया था :–

अनुसूचित जाति/ अनु0 जन जाति छात्रवति मद में संपूर्ण आय– आवंटन के माध्यम से कोषागार से विपत्रों द्वारा निकासी कर व्यय किया गया था। अनुजाति/अनु जनजाति प्रावैधिकी की राशि इस कार्यालय द्वारा छात्र/ छात्राओं के नाम से चेक सम्बंधित संस्थानों के प्रधानों को भेजी गयी थी एवं व्यय रोकड़ पंजी में दर्ज की गई थी। संबंधित संस्थानों के प्रधानों द्वारा छात्र/ छात्राओं को चेक प्राप्त कराने सम्बंधी प्राप्ति रसीद एवं उससे सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय में अप्राप्त था। प्राथमिक विधालयों/मध्य विधालयों एवं माध्यमिक विधालयों के छात्र/छात्राओं को छात्रवति वितरण हेतु सम्बंधित प्रखंडों को एक मुश्त राशि चेक द्वारा स्वीकत छात्र/छात्राओं के साथ भेज दी गयी। प्रखंड कार्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं को वितरित छात्रवति का विस्तत उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय में अप्राप्त का, जिसका विस्तृत उल्लेख अलग से आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

(iv) रोकड़ पंजी में संवरण द्वारा नगद राशि का <u>भौतिक सत्यापन की स्थिति</u> :– अनुसूचित जाति/अनु जनजाति छात्रवृत्ति हेतु स्वतंत्र रूप से अलग से सहायक रोकड़ पुस्त का संधारण नहीं किया गया था और न ही अलग से बैंक लेखा ही रखा गया था, बल्कि सभी प्रकार की छात्रवृतियों एवं कुछ अन्य मदों के लिए एक ही सहायक रोकड़ पुस्त एंव सम्मिलित रूप से बैंक लेखाओं से जमा एवं निकासी की गयी थी। सामान्य रोकड़ पंजी के संवरण शेष की बैंकवार विवरणी मुख्य अंकेक्षण प्रति वेदन (स्थापना एवं अन्य मदों से सम्बंधित) में अलग से उल्लेखित है।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण – मुख्य अंकेक्षण प्रति वेदन में उल्लेखित है।

<u>भाग–2</u>

(5) प्रावैधिकी मद में (अनु जाति/जन जाति राज्य से बाहर के छात्राओं को छात्रवृत्ति मद में रू0 10,98,314=00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र सह–भुगतान विवरण अप्राप्त व्यय आपति अंतर्गत :–

अनु जाति/अनु जनजाति छात्रवृति लेखा की जाँच में पाया गया कि प्रावैधिकी मद में राज्य से बाहर अध्ययनरत छात्रों को अंकेक्षित अवधि में छात्रवृति मद में कुल राशि भुगतान किया गया था जिसे रोकड़ पुस्त के बाद रूपया 10,98,314=00 में अंकित किया गया था। परन्तु , इस संबंध में उक्त राशि से सम्बंधित छात्रों का न तो पावती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया।

उल्लेखनीय है कि सत्रावधि समापन के पश्चात बहुत से छात्र संस्थान छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में शत प्रतिशत छात्रों को भुगतान होना संभव नहीं रह जाता है। इस प्रकार रू0 10,98,314 व्यय से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि में राशियों वास्तव में वितरित की गयी या नहीं। विस्तत विवरण पारीशिश्ट " ग " पर द्रश्टव्य।

यह उल्लेखनीय है कि छात्रवृत्ति स्वीकृत करने में नियमों एवं विभागीय निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया था। बिहार सरकार के कल्याण विभाग के निदेशानुसार प्रौवधिकी छात्रवति योजना हेतु सरकारी संस्थान एवं सरकार द्वारा विधितव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को ही छात्रवृति स्वीकृत करना है। अधिकांशतया गैर सरकारी संस्थान

(राज्य के बाहर के संस्थान) के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने में अभिरूची दिखायी गयी थी। इन संस्थानों को सरकार द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त की अथवा नहीं– सम्पाति कागजात कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गया।

प्रथानी/उच्चाधिकारी– का ध्यान इस ओर विशेष रूप में आकृष्ट किया जाता है कि सम्बंधित संस्थानों से मान्यता प्राप्ति का प्रमाण पत्र, छात्रों द्वारा पावती का प्रमाण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा करअनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, पटना को भी सूचित किया जाय।

(६) पोशाक मद में प्रखंडों को उपावंटित राशि रू 5,01,500 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त व्यय करने का सुझाव :–

अनुजाति/अनु जनजाति के छात्राओं को पोशक योजना में वितरण हेतु प्रखंडों को कुल रू 5,01 500 उपावंटित किया गया था। विभिन्न प्रखण्डों से उपयोगिता प्रमाण का प्राप्त कर अकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि पोशाक मद में राशियों का वितरण किया गया अथवा नहीं या फिर कितना किया गया और कितना बचा रहा। अगर राशि बची हुई है तो कहाँ और किसके पास है इसका सत्यापन कार्यालय द्वारा नहीं कराया जा सका। इस सम्बंध में कार्यालय द्वारा प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण पत्र की माँग की गयी परंतु प्रखंड द्वारा उपलबध नहीं करया जाना बताया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ध' पर द्रष्टव्य है।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर विशष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि सम्बंधित प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाकर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(7) अनुजाति/ जनजाति विधालय छात्रवृति मद में रू0 2,18,32,000=00 (प्रखंडो को ही गयी) का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त,

प्राप्त करने का सुझावः–रोकड़ पंजी एवं संगत अभिलेखों की पाँच से पता चलता है कि अनु जाति/जनजाति एवं मुसहर जाति के छात्रों को वितरण हेतु विधालय छात्रवृत्ति मद में विभिन्न प्रखंडों को रू0 2,18,32,000=00 उपावंटित किया गया, जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'ड़' पर प्रष्टव्य है।

उक्त ही गयी राशि से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में अप्रस्तुत रहा जिससे उसकी वास्तविकता की जाँच नहीं हो सकी की पूरी राशि वितरित हुई या यों ही पड़ी हुई है। प्रखंड कार्यालयों द्वारा इसकी अनदेखी कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस सम्बंध में उच्चाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि सम्बंधित प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाकर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

भाग–3

(8) <u>रोकड़ पुस्त एवं अभिलेखों का सधारण सही ढंग से नहीं किया जाना</u>:–

अनु जाति/अनु जनजाति छात्रवृति के आय–व्यय लेखा हेतु ऐ पृथक सहायक रोकड़ पुस्त एवं चेक निर्गत पंजी के साथ बैंक लेखा भी पृथक होना चाहिए ताकि रोकड़ का सही नियंत्रण किया जा सके किंतु ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया बल्कि सभी प्रकार की छात्रवृति एवं अन्य कई मदों से सम्बंधित एक मात्र रोकड़ पंजी का संधारण किया गया था, जिसमें प्रतिदिन माहवार एवं बैंकवार विवरणी भी रोकड़ पर अंकित नहीं की जाती थी। फलतः इसमद में रोकड़ के अवशेष एवं इस मद की बैंक लेखा में जमा राशि का मिलान संभव नहीं हो सका।

पुनः छात्रवृति भुगतान संबंधी अभिश्रवों की संचिका में अभिश्रव के साथ छात्रों का आवेदन स्वीकृत सूची आदि एक साथ–संलग्ण नहीं रखा गया था, बल्कि अत्र–तत्र अव्यव स्थित ढंग से रखा गया था जिससे प्रत्येक भुगतान की वैधानिकता की जाँच अत्यंत कठिन हो गया था।

भविष्य में लेखा का सही संधारण एवं उचित रख रखाव का सुभाव दिया जाता है।

19.5.15

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

मिलान एंव शुद्धकर्त्ता का हस्ताक्षर
शिव नाथ कुमार प्रसाद, व0 अ0–2

परिशिष्ट ''क'' कंडिका 1 ''ट'' से सम्बंधित

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचीः–

(क) प्रस्तुत अभिलेखः–

(1) रोकड़ पंजी

(2) विपत्र पंजी

(3) आवंटन एवं व्यय पंजी

(4) तकनीकी एवं प्रावैधिकी छात्रवृति भुगतान सम्बंधी अभिश्रवो की सूची संचिका,

(5) पोशाक पद एवं विधालय छात्रवृति मद में प्रखंडों को भेजी गयी राशि की अभिश्रव पंजी

(ख) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचीः–

(1) प्रखंड कार्यालयों द्वारा पोशाक मद एवं विधालय छात्रवृति से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(2) विभिन्न संस्थानों को प्रावैधिकी मद में भेजी गयी चेकों की उपयोगिता प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट "ख" कंडिका 3 (i) से सम्बंधित आवंटन एवं व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2009–10

क्र०	शीर्ष	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	कम व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुसूचित जाति	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	22,50,000=00	22,50,000=00	—	—	—
2		प्रावैधिकी छात्रवृति	50,000=00	50,000=00	—	—	—
3		क्रीड़ा छात्रवृति	3400=00	3400=00	—	—	—
4		पोशाक आपूर्ति	39,5000=00	39,500=00	—	—	—
5	अनुसूचित जनजाति	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	10,75,000=00	10,75,000=00	—	—	—
6		प्रावैधिकी छात्रवृति	10,000=00	10,000=00	—	—	—
7		क्रीड़ा छात्रवृति	2400=00	2400=00	—	—	—
8		पोशाक आपूर्ति	39,500=00	39,500=00	—	—	—

अनु0 जाति / जनजाति

परिशिष्ट "ख" कंडिका 3 (i) से सम्बंधित आवंटन एवं व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2010–11

क्र0	शीर्ष	मद का नाम	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	कम व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुसूचित जाति	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	45,00,000,=00	45,00,000=00	–	–	–
2		वर्ग 1 से 5 तक के लिए पोशाक आपूर्ति	3,19,000=00	3,19,000=00	–	–	–
3		प्रावैधिकी की छात्रवृति	50,000=00	50,000=00	–	–	–
4		क्रीड़ा छात्रवृति	34,000=00	34,000=00	–	–	–
5		प्राथमिक, मध्य एवं उच्च वि0 छात्रवृति	31,40,000=00	31,40,000=00	–	–	–
6		अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक छात्रवृति	96,000=00	96,000=00	–	–	–
7		प्रा0, मध्य, उच्च विधालय छात्रवृति	91,83,000=00	91,83,000=00	–	–	–
8		सुसहार, भुइयाँ छात्रवृति	3,25,000=00	3,25,000=00	–	–	–
9	अनु0 जनजाति छात्रवृति	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	10,75,000=00	10,75,000=00	–	–	–
10		प्रावैधिकी छात्रवृति	10,000=00	10,000=00	–	–	–

11		[illegible] छात्रवृति	24,[illegible]	24,000=00	—	—	—
12		[illegible] आपूर्ति (1 से 5 वर्ग के छात्राओं को)	39,[illegible]00	39,500=00	-	—	—
20		प्राथमिक, मध्य एवं उच्च वि0 छात्रवृति	91,04,000=00	91,04,000=00	—	—	—

अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (प्रावैधिक)

परिशिष्ट "ग" कंडिका 5 से सम्बंधित अनुजाति/अनु0 जनजाति प्रावैधिकी मद में राज्य से बाहर के संस्थानों के छात्रों को छात्रवृति मद ही प्ररित की गयी राशि की विवरणी जिसका भुगतान अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा।

क्र0	कॉलेज/संस्थानों के नाम	छात्रों के नाम	पत्रांक/दिनांक	चेक संख्या	तिथि	राशि	अभ्युक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्राचार्य, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिग	श्री प्रणव कु0 प्रियदर्शी	1126/17.09.2010	090575	17.09.2010	93,960=00	—

	एंड टेक्नोलॉजी, सविका नगर, थंडलम, चेन्नई						
2	प्राचार्य, महर्षि अरविंद इंस्टीच्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जयपुर–302020	श्री आशुतोष राम	1127 / 17.09.2010	090576	17.09.2010	44,120=00	—
3	प्राचार्य, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑु टकनोलॉजी, कर्नाटक, सुरथ्कल	श्री सुजीत कुमार	1128 / 17.09.2010	090577	17.09.2010	38,300=00	—
4	प्राचार्य, इंडियन मैरी टाइम यूनिवर्सिटी, कोलकत्ता कैमपस–पी–19, ताराताला रोड, कोलकात्ता	श्री पवन कुमार सिंह	1	114032	31.01.2011	30,435=00	—
5	प्राचार्य, गलोवल इंजिनियरिंग कॉलेज, भाजपुर रोड पी0 आं0 वंगरसिया, भोपाल	श्री अवधेश कुमार		114033	31.01.2011	52,820=00	—
6	प्राचार्य, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, रामपुर जी0 ई0 रोड,	श्री संजीव कुमार सोरेन		114031	31.01.2011	15,5000=00	—

	रामपुर						
7	प्राचार्य, वैशनवी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (नी0 आइ0 टी0 एस) भोपाल	श्री लीलान्दर कुमार		114030	31.01.2011	48,960=00	--
8	प्राचार्य, चितकार इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़, पटियाला, नेशनल हाइवे मिलेज जानसला	श्री संजय कुमार मंडल		114029	31.01.2011	38,630=00	—
9	प्राचार्य, कमेलिम स्कूल ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, नादिमाग पां0 काजीपारा बरसात, कोलकात्ता	अखिलेश कुमार		114025	31.01.2011	86,800=00	—
10	प्राचार्य, डी0 डी0 वाई0 पाटिल इंस्टीच्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी , पूणे	श्री अभय कुमार		114026	31.01.2011	48,300=00	—
11	प्राचार्य, भीवानी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, भिवानी,	श्री विजय कुमार मंडल		114036	31.01.2011	45,326=00	—

	दिल्ली रोड, भिवानी						
12	प्राचार्य, डाइरेक्टर, भू0 आई0 टी0 टी0 सेक्टर–25, पंजाव यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	श्री चंद्रराज प्रकाश		114037	31.01.2011	68,255=00	–
13	प्राचार्य, मैलोट इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, पंजाब पिन–152107	श्री सूर्य नारायण उरौव		114035	31.01.2011	60,748=00	–
14	प्राचार्य, आनन्द मार्ग, पौलिटेकन्कि नगर, माइलैंड हाली, मैलूर टी0 क्यू0	श्री रोमन हौसदा		114028	31.01.2011	21,000=00	–
15	प्राचार्य, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरतकल	श्री चंदन कुमार		114034	31.01.2011	38,100=00	–
16	प्राचार्य, ट्रोनिंग, शिप चाणक्य कार्वे ने रूण नदी मुम्बई	श्री मुकेश कुमार		114027	31.01.2011	74,640=00	–
17	प्राचार्य, विरला इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेशरा–835215	श्री राहुल कुमार सक्सेना		114021	31.01.2011	69,020=00	–

	(राँची)						
18	प्राचार्य, कीट यूनिवर्सिटी, भूवनेश्वर, उड़ीसा	श्री अभिमन्यु कुमार पासवान		114023	31.01.2011	1,32,000=00	—
19	प्राचार्य, पी0 वी0 पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकतार एंड टेक्नोलॉजी, पंत नगर, जिला उधान नगर	श्री संजीव कुमार		114022	31.01.2011	37,000=00	—
20	प्राचार्य, माँ कैला देवी इंस्टीच्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट शिवपुरी लिंक रोड ग्वालियर	श्री अमीत कुमार साउ		114024	31.01.2011	54000=00	—
					कुल योग—	10,98,314=00	

अनु0 जाति/जनजाति के छात्राओं को पोशाक मद में

परिशिष "घ" कंडिका–6 (च) से सम्बंधित अनु0 जाति/अनु0 जनजाति छात्राओं को पोशाक मद में विभिन्न प्रखण्डों को दी गयी राशि का विवरणी जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा:–

क्र0	विपत्र संख्या	रोकड़ पंजी की तिथि	प्रखण्डों के नाम	चेक संख्या	तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	103 एवं 104/09–10	29.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 कोढ़ा	113764	29.03.2010	69,500=00	–
2	103 एवं 104/09–10	29.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 फलका	113765	29.03.2010	37,500=00	–
3	103 एवं 104/09–10	29.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 कुर्सेला	113767	29.03.2010	12,500=00	–
4	103 एवं 104/09–10	29.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 प्राणपुर	113770	29.03.2010	22,500=00	–
5	103 एवं 104/09–10	29.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 मनिहारी	113771	29.03.2010	40,000=00	–
6	103 एवं 104/09–10	29.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 बारसोई	113773	29.03.2010	40,500=00	–
7	103 एवं 104/09–10	29.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 कदवा	113774	29.03.2010	47,500=00	–
8	103 एवं 104/09–10	31.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 कटिहार	113761	29.03.2010	63,000=00	–
9	103 एवं 104/09–10	31.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 बरारी	113768	29.03.2010	47,500=00	–

10	103 एवं 104/09–10	31.03.2010	प्रखंड विकास पदा0 अमदाबाद	113772	29.03.2010	13,500=00	–
11	103 एवं 104/09–10	07.04.2010	प्रखंड विकास पदा0 डंडखोरा	113762	29.03.2010	12,500=00	
12	103 एवं 104/09–10	07.04.2010	प्रखंड विकास पदा0 समेली	113766	29.03.2010	15,500=00	–
13	103 एवं 104/09–10	07.04.2010	प्रखंड विकास पदा0 मनसाही	113769	29.03.2010	18,500=00	–
14	103 एवं 104/09–10	07.04.2010	प्रखंड विकास पदा0 आजमनगर	113775	29.03.2010	38,000=00	–
15	103 एवं 104/09–10	07.04.2010	प्रखंड विकास पदा0 हसनगंज	113763	29.03.2010	7,000=00	–
16	103 एवं 104/09–10	07.04.2010	प्रखंड विकास पदा0 बलरामपुर	113776	29.03.2010	16,000=00	–
					कुल योग–	5,01,500=00	

<u>विधालय छात्रवृति</u>

परिशिष्ट "ड़" कंडिका 7 (ग) से सम्बंधित

अनुजाति जाति, अनुजनजाति एवं मुसहर जाति के छात्रों के विधालय छात्रवृति मद में विपित्र प्रखण्डों को वितरण हेतु दी गयी राशि की विवरणी जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा:–

क्र0	रोकड़ पंजी की तिथि	प्रखण्डों के नाम	राशि (अनु जनजाति)	राशि (अनु जाति)	राशि (मुशहर जाति)	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10.09.2010	प्रखंड वि0 पदा0 डंडखोरा	4,50,000=00	4,00,000=00	13,000=00	8,63,000=00	–
2	10.09.2010	प्रखंड वि0 पदा0 कोढ़ा	6,00,000=00	10,00,000=00	31,000=00	16,31,000=00	–
3	10.09.2010	प्रखंड वि0 पदा0 बरारी	5,50,000=00	8,00,000=00	15,000=00	13,65,000=00	–
4	10.09.2010	प्रखंड वि0 पदा0 अमदाबाद	3,50,000=00	5,40,000=00	13,000=00	9,03,000=00	–
5	10.09.2010	प्रखंड वि0 पदा0 कदवा	7,00,000=00	11,00,000=00	31,000=00	18,31,000=00	–
6	17.09.2010	प्रखंड वि0 पदा0 हसनगंज	3,00,000=00	3,00,000=00	13,000=00	6,13,000=00	–
7	13.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 कुर्सेला	2,50,000=00	4,00,000=00	15,000=00	6,65,000=00	–
8	13.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 प्राणपुर	5,00,000=00	6,00,000=00	15,000=00	11,15,000=00	–
9	25.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 कटिहार	11,50,000=00	20,00,000=00	1,00,000=00	32,50,000=00	–

10	25.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 फलका	7,00,000=00	8,00,000=00	30,000=00	15,30,000=00	—
11	25.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 मनसाही	4,50,000=00	4,00,000=00	13,000=00	8,63,000=00	—
12	25.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 आलमनगर	5,35,000=00	8,48,000=00	13,000=00	13,96,000=00	—
13	25.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 बारसोई	2,50,000=00	9,00,000=00	13,000=00	11,63,000=00	—
14	28.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 समेली	7,00,000=00	4,00,000=00	14,000=00	11,14,000=00	—
15	28.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 मनिहारी	13,69,000=00	12,35,000=00	63,000=00	26,67,000=00	—
16	28.10.2010	प्रखंड वि0 पदा0 बलरामपुर	2,50,000=00	6,00,000=00	13,000=00	8,63,000=00	—
		कुल योग–	91,04,000=00	1,23,23,000=00	4,05,000=00	2,18,32,000=00	—